	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	Regd. No. RJ. 2539. RAJASTHAN GAZETTE *Extraordinary*
	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

फाल्गुन 3, बुधवार, शाके 1905—फरवरी 22, 1984
Phalguna 3, Wednesday, Saka 1905—February 22, 1984

भाग 4 (ग)
उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए
(सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए)
सामान्य कानूनी नियम।

राजस्व (ग्रुप-8) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 14, 1984

जी.एस.आर. 102:—राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 (1974 का राजस्थान अधिनियम 5) की धारा 21 की उप-धारा (1) द्वारा जैसा अपेक्षित है, राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनियमन) (संशोधन) नियम, 1983 का प्रारूप इस विभाग की अधिसूचना संख्या प. 10 (88) राज-8182 दिनांक 5 अक्टूबर, 1983 के अन्तर्गत राजस्थान राज-पत्र भाग 3 (ख) दिनांक 17-11-83 के पृष्ठ 9 से 13 पर प्रकाशित हुआ था। उसमें उक्त अधिसूचना के राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि तक उन सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गये थे जिनके इनसे प्रभावित होने की संभावना थी,

और उक्त नियमों के प्रारूप पर जो आपत्तियां और सुझाव प्राप्त हुए, राज्य सरकार ने उन पर विचार कर लिया है,

अतः अब राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 (1974 का राजस्थान अधिनियम 5) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) नियम, 1974 को संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) (संशोधन) नियम, 1983 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 2 का संशोधन :—(1) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित नया उप-नियम प्रतिस्थापित किया जावेगा :—

"अधिनियम" से तात्पर्य राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 से है ।

(2) उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित नया उप-नियम, प्रतिस्थापित किया जावेगा :—

" "मण्डल वन अधिकारी" से तात्पर्य उस वन पदाधिकारी से है जो उस वन मण्डल का पदाधिकारी है जिसमें कि इकाई स्थित है ।"

(3) उप-नियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित नये उप-नियम (6) व (7) जोड़े जावेंगे तथा वर्तमान उप नियम (6), (7), (8), (9), (10), (11) व (12) को क्रमशः उप-नियम (8), (9), (10), (11), (12), (13) व (14) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा ।

"(6) "तेन्दू पत्तों के आयातक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों या पक्ष से है जो स्वयं के व्यापार के लिए राजस्थान के बाहर से तेन्दू पत्तों का आयात करता है ।

(7) "बीडी निर्माता" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या पक्ष से है जो अपनी फर्म से बीड़ी बनाता है या लघु उद्योग के रूप में घर पर ही बीड़ी बनाता है अथवा मजदूरों से तेन्दू पत्ता अथवा तम्बाकू देकर बीड़ी बनवाता है ।"

(4) पुनः संख्यांकित उप-नियम (12) में अंक "75" के स्थान पर अंक "50" अन्तःस्थापित किया जायेगा ।

3. नियम 3 का संशोधनः—नियम 3 के उप-नियम (1) में शब्द "उप-धारा (1) के अधीन" के पश्चात् तथा शब्द "इकाई" के पूर्व निम्न लिखित शब्द अन्तःस्थापित किये जाते हैं :—

"निजी क्षेत्रों की"

4. नियम 4 का संशोधन :—(1) उप-नियम (1) के क्रम (चार) के कालम 2 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित नयी प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी :—

"मण्डल वन अधिकारी अथवा उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत अधिकारी जो सहायक वन संरक्षक के पद से निम्न न हो"

(2) उप-नियम (2) के परन्तुक में शब्द "श्रमिकर्ता के स्थान पर शब्द श्रमिकर्ता। क्रेता" प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(3) उप-नियम (3) के खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (छ) जोड़ा जाता है :—

"तेन्दू पत्ते परिवहन करते हुए चैकिंग करने पर गाड़ी या वाहन में अनुज्ञा-पत्र में अंकित मात्रा से अधिक पत्ते पाये गये या परिवहन अनुज्ञा-पत्र में अंकित विवरण से विभिन्नता पाई गई तो वह तेन्दू पत्ता नियमों का उल्लंघन होगा ।"

5. नियम 6 का संशोधन :—(1) उप-नियम (2) में शब्द "वन क्षेत्रीय अधिकारी (रेन्ज आफिसर)" तथा "परिक्षेत्र पदाधिकारी" के स्थान पर शब्द "रेन्ज अधिकारी" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाता है ।

(2) उप-नियम (5) में शब्द "संग्रहागार" के स्थान पर शब्द "संग्रहण केन्द्र" प्रतिस्थापित किया जाता है ।

6. नियम 7 का संशोधनः—नियम 7 में शब्द "उपसंजात" जहां कहीं भी इसे प्रयोग में लिया गया है, के स्थान पर शब्द "उपस्थित" प्रतिस्थापित किया जावेगा ।

7. नियम 8 का संशोधन :—(1) नियम 8 में विद्यमान शीर्षक तथा उप-नियम (1), (2) व (3) के स्थान पर निम्नलिखित नये शीर्षक तथा उप-नियम (1), (2) व (3) प्रतिस्थापित किये जाते हैं :—

"8. बीड़ी निर्माताओं तथा (या) तेन्दू पत्तों के निर्यात को तथा (या) आयात को का पंजीकरण 50/– रु. वार्षिक पंजीकरण फीस देने पर इसमें आगे दिये अनुसार किया जायेगा ।

(2) धारा 11 के अधीन पंजीकरण के लिए आवेदन-पत्र प्रारूप "छ" में होगा और वह उस मण्डल वन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा जिसके कि क्षेत्राधिकरण के भीतर बीड़ी निर्माता तथा तेन्दू पत्ते का आयातक रहता या उसके कारोबार का मुख्य स्थान स्थित है, यदि निर्माता तथा/या निर्यातक तथा/या आयातक राज्य के बाहर निवास करता है तो वह अपने आवेदन-पत्र राज्य भीतर किसी भी मण्डल वन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा । आवेदनकर्ता जिस वित्तीय वर्ष के लिए पंजीकरण वांछित हो वह वर्ष दर्शायेगा । पंजीकरण फीस अग्रिम रूप से जमा की जावेगी, तथा इस साक्ष्य की प्रतिलिपि की धनराशि जमा कर दी गई है । पंजीकरण के आवेदन के साथ संलग्न की जायेगी । मण्डल वन अधिकारी इसे जांच करने के पश्चात् जहां वह आवश्यक समझे प्ररूप (ज) में पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान कर सकेगा या तदर्थ कारण अभिलिखित करने के पश्चात् आवेदन-पत्र रद्द कर सकेगा ।

(3) पंजीकरण उसी वर्ष के लिए मान्य होगा जिसके लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया जाय । पंजीकरण का नवीनीकरण हर वर्ष मार्च के अन्त तक पंजीकरण फीस जमा करवाने के बाद किया जा सकेगा । इसके पश्चात् 15 अप्रेल तक नवीनीकरण कराने वाले व्यापारी से 10/- रु. शास्ति के रूप में अतिरिक्त वसूल किया जाकर नवीनीकरण किया जा सकेगा । यदि इस अवधि के पश्चात् भी कोई पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं कराये तो उसके विरुद्ध नियम 8 (7) के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी ।"

(2) नियम 8 के उप-नियम (4) में शब्द "तेन्दू पत्तों का निर्यातक" तथा शब्द "मण्डल वन अधिकारी" के मध्य शब्द "तथा या आयातक" अन्तः स्थापित किये जाते हैं ।

(4) नियम 8 के उप-नियम (5) में अभिव्यक्ति "31 मार्च" के स्थान पर अभिव्यक्ति "15 अप्रेल" प्रतिस्थापित की जाती है ।

(5) नियम 8 के विद्यमान उप-नियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित नया उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाता है :—

"(7) ऐसे बीड़ियों के निर्माता अथवा या तेन्दू पत्तों के निर्यातक तथा या आयातक का पंजीकरण प्रमाण-पत्र जिसने कि अधिनियम, इन नियमों और अथवा राज्य

सरकार के साथ किये गये करार की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन किया हो जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत दण्डित किया गया हो या उसके करारनामे को समाप्त कर दिया हो वन संरक्षक, प्रादेशिक द्वारा रद्द किया जाने योग्य होगा, ऐसे बीड़ी निर्माता अथवा।या।निर्यातक तथा।या।आयातक का पंजीकरण ऐसे कालावधि के लिए जो कि 3 वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकती है, अस्वीकृत किया जा सकेगा परन्तु यदि सम्बन्धित बीड़ीयों का निर्माता अथवा निर्यातक तथा।या आयातक उपरोक्त आदेशों से असन्तुष्ट हो तो मुख्य वन संरक्षक को अपील कर सकेगा ।

8. नियम 10 का संशोधन :—विद्यमान नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है :—

"खुदरा बिक्री के लिए लाइसेन्स :—

"खुदरा बिक्री" से तात्पर्य ऐसे तेन्दू पत्ता की मात्रा की बिक्री से है जो एक बार में एक मानक बोरा से अधिक की हो ।

(1) धारा 13 की उप-धारा (3) के अधीन तेन्दू पत्तों की खुदरा बिक्री के लाईसेन्स हेतु इच्छुक व्यक्ति प्रार्थना-पत्र प्रारूप "ड" से सम्बन्धित मण्डल वन अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा ।

(2) मण्डल वन अधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे लाईसेन्स स्वीकृत करेगा ।

(3) लाईसेन्स उसी वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगा जिसके लिए जारी किया गया है ।

(4) लाईसेन्स निर्धारण प्रपत्र पर 2/- रु. वार्षिक फीस के देनगी पर जारी किया जायेगा"

9. नियम 11 तथा 12 का अन्तःस्थापन :—(1) नियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित नये नियम 11 तथा 12 अन्तः स्थापित किये जावेंगे :—

(11) तेन्दू पत्तों का व्ययन :—

(1) तेन्दू पत्ते की बिक्री एवं व्ययन अधिनियम की धारा 12 के अधीन गठित कमेटी द्वारा किया जावेगा ।

(2) तेन्दू पत्तों की इकाइयों का व्ययन ऐसे निबन्धन तथा शर्तों पर जो कि राज्य सरकार या उसके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विनिश्चित की जांय अथवा निविदा सूचना में उल्लेखित हो, निविदा प्रणाली या अन्य रीति से जैसा अभी राज्य सरकार या उसके प्राधिकृत अधिकारी उचित समझे किया जायेगा ।

(3) बिक्री एवं व्ययन सम्बन्धी सूचना का विज्ञापन समाचार-पत्रों में तथा ऐसी अन्य रीति से जिसे कि राज्य सरकार अथवा उसके प्राधिकृत अधिकारी उचित समझे किया जायेगा ।

(4) निविदा प्रपत्र (तेन्दू पत्ता क्रय हेतु) सम्बन्धित वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी के कार्यालय से प्रत्येक प्रपत्र के लिए 30/- रु. की देनगी पर प्राप्त होगा। यह देनगी वन विभाग द्वारा रुपया स्वीकार करने की मान्यता प्राप्त तरीकों में से किसी के अनुसार की जायेगी। यदि किसी इकाई के क्रेता ने अपने इकरार-नामे के चालू रहते के दौरान समस्त निबन्धन तथा शर्तों का अनुपालन पूर्णरूपेण किया हो और राज्य सरकार या सक्षम अधिकारी को यह समाधान हो जाये कि क्रेता ने पत्तों का संग्रहण या क्रय करने तथा देनगी करने में तत्परता बरती है तो राज्य सरकार या सक्षम अधिकारी ऐसे क्रेता को निबन्धन तथा शर्तों पर जिनका कि प्रति वर्ष आपस में करार हो जाय बिक्री एवं व्ययन समिति द्वारा विनिश्चित की गयी दर पर 3 वर्ष के लिए नियुक्ति या वार्षिक नवीनीकरण स्वीकार किया जा सकेगा, परन्तु राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये किसी भी इकाई का नवीनीकरण अस्वीकार कर सकेगी।

(5) इकाई हेतु निविदाएं प्राप्त होने पर व खोले जाने पर किसी अन्य व्यक्ति या पक्ष द्वारा अधिक राशि हेतु दिये गये प्रस्ताव पर, व्ययन समिति द्वारा इकाई के पुनः व्ययन के लिए विचार नहीं किया जावेगा। परन्तु यह कि जिन इकाइयों की कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई है या व्ययन समिति की राय में उचित बोली प्राप्त नहीं हुई है या उनका पुनः व्ययन किया जायेगा।

(6) यदि क्रेता वित्तीय अथवा अन्य युक्तियुक्त कारणों से अपनी इकाई को किसी अन्य क्रेता को हस्तान्तरण करना चाहता है एवं नये क्रेता को ऐसे हस्तान्तरण पर सहमति हो तो उस इकाई के क्रय मूल्य का 2 प्रतिशत धन राशि शुल्क के रूप में अग्रिम से वसूल की जावेगी। इस हस्तान्तरण की अनुमति बिक्री एवं चयन समिति द्वारा की जावेगी।

(7) ऐसे तेन्दू पत्ता के व्यापारी जिनका पंजीयन निर्यातक अथवा आयातक अथवा बीड़ी निर्माता के रूप में हुआ हो, अपने तेन्दू पत्ते का व्ययन करना चाहे तो वह 3/-रु. प्रति मानक बोरा का हस्तान्तरण शुल्क सम्बन्धित मण्डल वन अधिकारी को जमा कराकर हस्तान्तरण कर सकता है।

(8) जिन तेन्दू पत्ता इकाइयों का व्ययन नहीं होता है और फलस्वरूप ऐसी इकाइयों में विभागीय रूप से पत्ता एकत्रित करना आवश्यक होता है तो ऐसे विभागीय रूप से एकत्रित पत्तों का व्ययन ऐसी रीति तथा शर्तों पर किया जावेगा जो कि राज्य सरकार द्वारा या उसके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विनिश्चित की जाय। इस पत्ते का बेचान बिक्री एवं व्ययन कमेटी द्वारा किया जावेगा।

12. राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) नियम, 1974 में प्रयुक्त शब्द "अध्यादेश" जहां कहीं भी वह प्रयोग में लिया गया है, के स्थान पर शब्द "अधिनियम" प्रतिस्थापित किया जाता है।

(संख्या 10 (38) राज।8182)
राज्यपाल के आदेश से,
ए. एम. लाल,
राजस्व सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।